

निवेशक संबंध कक्ष
प्रधान कार्यालय :
स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक,
8वीं मंजिल,
बान्द्रा कुर्ला संकुल,
बान्द्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051

दूरध्वनि : (022)- 6668 4490

फैक्स : (022)- 6668 4491

इमेल :

headoffice.share@bankofindia.co.in



INVESTOR RELATIONS CELL

HEAD OFFICE :

Star House, C-5, "G" Block,
8th Floor (East Wing),
Bandra- Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai – 400 051

Phone : (022)- 6668 4490

Fax : (022)- 6668 4491

E-Mail : headoffice.share@bankofindia.co.in

संदर्भ क्र. Ref. No.: HO: IRC: RB: 2020-21:84

दिनांक Date: 18.07.2020

Script Code: BANKINDIA	Script Code: 532149
The Vice President – Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051.	The Vice-President – Listing Department, BSE Ltd., 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.

महोदय/महोदया Dear Sir/Madam,

Notice of 24th Annual General Meeting (AGM) and Book Closure

This is to inform that the Bank has convened its 24th Annual General Meeting of shareholders of our Bank as per details given below:

Sr. No.	Particulars	Day and Date
1.	Annual General Meeting	Tuesday, 11 th August 2020 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC)/ other Audio Visual Means (OAVM)
2.	Cut-off date	4 th July 2020- for remote E-voting and to participate in AGM through VC
3.	Book Closure	From 5 th August 2020 to 11 th August 2020 (both days inclusive)
4.	Remote E-voting- CDSL	Start 7 th August 2020 (10.00 A.M.) End 10 th August 2020 (5.00 P.M.)

We also annex a notice of the 24th Annual General Meeting. We request you to take notice under Regulation 42 and other applicable provisions of SEBI (LODR) Regulations 2015 and upload the information on your website.

धन्यवाद Thanking you,

भवदीय Yours faithfully,



Rajeev Bhatia

(राजीव भाटिया Rajeev Bhatia)

कंपनी सचिव Company Secretary

Encl: As Above

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

BOI



प्रधान कार्यालय : प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051

Head Office : Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051

सूचना

NOTICE

एतद-द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की चौबीसवीं वार्षिक आम बैठक 11 अगस्त, 2020 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ़ेरेंसिंग ("वीसी") अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए आयोजित की जायेगी:

मद सं. 1 -

"31 मार्च, 2020 के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ व हानि खाते, लेखा द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र और लेखे पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उन्हें अनुमोदित करना तथा अंगीकृत करना।"

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार



ए. के. दास

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Notice is hereby given that the Twenty Fourth Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of India will be held on Tuesday, August 11, 2020 at 11.00 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business:

Item No. 1

"To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2020, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2020, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

By Order of the Board of Directors



A. K. Das

Managing Director & CEO

स्थान : मुंबई

दिनांक : 25 जून, 2020

नोट्स :-

- कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ("एमसीए") अपने परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 (समेकित रूप से "एमसीए परिपत्र") के माध्यम से तथा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने और एक ही स्थान पर सभी सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक का आयोजन करने की अनुमति दी है। सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी विनियम") के प्रावधानों तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में बैंक की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।
- लागू प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार शेयरधारक स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में

Place : Mumbai

Date : June 25, 2020

Notes:

- In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars"), approval received from Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Bank is being held through VC / OAVM. The Head Office of the Bank is the deemed venue of the AGM.
- Pursuant to the applicable provisions, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to

उपस्थित होने और मतदान करने के लिए नियुक्त कर सकता है। परोक्षी को बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कॉरपोरेट मामले मंत्रालय/वित्त मंत्रालय के परिपत्रकों के अनुसार चूंकि यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा नहीं होगी और इसलिए परोक्षी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची को इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

3. बैंक की शेयरधारक किसी कंपनी या किसी अन्य बॉडी कॉर्पोरेट के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति उस बैठक, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न करा दी जाए या headoffice.share@Bankofindia.co.in ई-मेल द्वारा प्रेषित न कर दी जाए। इसकी एक प्रति scrutinizer@snaco.net तथा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भी भेजी जानी चाहिए।
4. बैंक ऑफ़ इंडिया के विनियम 12 (शेयर एवं मीटिंग) तथा लागू सेबी विनियम (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के अनुसार शेयरधारकों के रजिस्टर को बुधवार, 5 अगस्त, 2020 से मंगलवार 11 अगस्त 2020 (दोनों दिन मिलाकर) एजीएम हेतु बंद किया जाएगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेना

5. शेयरधारक, नोटिस में उल्लिखित निर्धारित समय से 15 मिनट पहले तथा 15 मिनट बाद तक वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आने वाले कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
6. उपर्युक्त बाध्यता बड़े शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता वाले), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं प्रारिष्ट्रमिक समिति तथा शेयरधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि आदि हेतु लागू नहीं होगी।
7. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की उपस्थिति को बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं मीटिंग) विनियम, 2007 के तहत गणपूर्ति की गणना के लिए गिना जाएगा।
8. उपर्युक्त एमसीए परिपत्र तथा सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई 2020 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 तथा वार्षिक आम बैठक का नोटिस उन शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा ही भेजा जा रहा है जिनके ई-मेल पते बैंक/डिपॉजिटरीज में पंजीकृत हैं। शेयर धारक नोट करें कि नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in , स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट https.www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध रहेगी।

attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held pursuant to the MCA / MOF Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

3. No person shall be entitled to participate or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank or through email : headoffice.share@bankofindia.co.in with a copy marked to the Scrutinizer by email to scrutinizer@snaco.net with a copy also marked to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
4. Pursuant to Regulation 12 of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations and applicable Regulation of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Shareholders will be closed from Wednesday , August 5, 2020 till Tuesday, August 11, August 2020 (both days inclusive) for AGM.

ATTENDING AGM THROUGH VC/OAVM

5. The Shareholders can join the EGM/AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in this Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis.
6. The aforesaid restriction will not be applicable for large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
7. The attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007.
8. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020, Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depositories. Shareholders may note that the Notice and Annual Report 2019-20 will also be available on the Bank's website www.bankofindia.co.in. websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, on the website of CDSL https.www.evotingindia.com

9. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अतः इस नोटिस में मार्ग का मानचित्र संलग्न नहीं है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

10. शेयर धारकों को सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शेयरधारक <https://www.evotingindia.com> पर शेयरधारक/सदस्य के अंतर्गत रिमोट ई-वोटिंग ब्यौरे का प्रयोग कर इसमें भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम हेतु लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगइन में उपलब्ध होगा, जहाँ कम्पनी का ईवीएसएन दर्शाया जाएगा।
11. शेयरधारकों से विशेष अनुरोध है कि वे बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लें।
12. तत्पश्चात्, शेयरधारकों को कैमरा को अनुमति देने और बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए अच्छी गति का इंटरनेट प्रयोग करने की आवश्यकता होगी।
13. कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट से जोड़कर लेपटॉप या टैबलेट या मोबाइल डिवाइस के माध्यम से भाग लेने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क की अस्थिरता के कारण ऑडियो/वीडियो में बाधा का अनुभव कर सकते हैं। अतः उपर्युक्त किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ कम से कम हों इसके लिए हम स्थिर वाईफाई या एलएएन (लैन) कनेक्शन का प्रयोग करने की सलाह देते हैं।
14. ऐसे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के इच्छुक हों, वे सोमवार 3 अगस्त 2020 को या उससे पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर headoffice.share@Bankofindia.co.in पर प्रेषित कर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं।
15. जिन शेयरधारकों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है केवल उन्हें ही बैठक के दौरान विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
16. जो शेयरधारक एजीएम में बोलने के इच्छुक नहीं हैं, परन्तु प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे सोमवार 3 अगस्त 2020 को या उससे पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर का उल्लेख करते हुए headoffice.share@Bankofindia.co.in पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। बैंक द्वारा एजीएम में या ई-मेल के माध्यम से इन प्रश्नों का यथोचित रूप से उत्तर दिया जाएगा।

बैठक में रिमोट ई-वोटिंग एवं ए-वोटिंग

17. बैंक को प्रसन्नता है कि वह नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। बैंक उन शेयरधारकों के लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान मतदान नहीं किया था। बैंक ने मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रमणियन एवं कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव को रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है।

9. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE EGM/AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

10. Shareholder will be provided with a facility to attend the EGM/AGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Shareholders may access the same at <https://www.evotingindia.com> under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Company will be displayed.
11. Shareholders are encouraged to join the Meeting through laptops / IPads for better experience.
12. Further Shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
13. Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable wi-fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
14. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance on or before Monday 3rd August 2020 mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number by sending an email to headoffice.share@Bankofindia.co.in.
15. Those Shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
16. The Shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance on or before Monday 3rd August 2020 mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number by sending an email to headoffice.share@Bankofindia.co.in. These queries will be replied to by the Bank at the AGM or by email.

REMOTE E-VOTING & EVOTING AT THE MEETING

17. The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank will also provide e-voting facility during the AGM for those shareholders who have not casted their votes during the remote e-voting process. The Bank has appointed M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Practising Company Secretaries as the Scrutinizer for both remote evoting and e-voting for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं:-

- i. मतदान की अवधि 07 अगस्त, 2020, शुक्रवार प्रातः 10.00 बजे से आरम्भ होगी तथा 10 अगस्त, 2020 सोमवार सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, जो शेयरधारक भौतिक रूप में कम्पनी के शेयरों को धारण करते हैं, वे 04 अगस्त 2020, मंगलवार की कट-ऑफ़ दिनांक (रिकॉर्ड दिनांक) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा मतदान हेतु ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।
- ii. बहु फोलियो/डीमैट खाता रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए पृथक रूप से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे।
यद्यपि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार भारत सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के वोटिंग अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।
- iii. शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा।
- iv. [shareholders/modules](#) पर क्लिक करें।
- v. अब अपने यूजर आईडी की प्रविष्टि करें
(ए) सीडीएसएल के लिए: 16 डिजिट की बेनिफिशिएरी आईडी
(बी) एनएसडीएल के लिए: 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी
(सी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हों उन्हें कंपनी में पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।

अथवा

वैकल्पिक रूप से, यदि आप सीडीएसएल की EASI/EASIEST ई-सेवाओं हेतु पंजीकृत हैं, तो आप अपने लॉगइन विवरण का प्रयोग कर Logni-Myeasi के माध्यम से <https://www.cdslindia.com> पर लॉगइन कर सकते हैं। सीडीएसएल की EASI/EASIEST ई-सेवाओं पर सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें और सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर दें।

- vi. डिस्टले किए गए वेरिफिकेशन इमेज की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
- vii. यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन किया है और किसी कंपनी/निकाय पर ई-वोट किया है, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- viii. यदि आप पहली बार ई-वोटिंग कर रहे हैं तो निम्नलिखित का पालन करें :-

THE INTRUCTIONS FOR SHAREHOLDRES FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:

- (i) The Remote evoting period begins on 10.00 a.m. on Friday, August 07, 2020 and ends on 5.00 p.m. on Monday, August 10, 2020. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of Tuesday, August 04, 2020 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account.
However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- (iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iv) Click on "Shareholders" module.
- (v) Now enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.

OR

Alternatively, if you are registered for CDSL's EASI/EASIEST e-services, you can log-in at <https://www.cdslindia.com> from Login - Myeasi using your login credentials. Once you successfully log-in to CDSL's EASI/EASIEST e-services, click on e-Voting option and proceed directly to cast your vote electronically.

- (vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- (viii) If you are a first time user follow the steps given below:

	डीमैट और भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए
पीएएन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी अपने 10 डिजिट के अल्फा न्यूमेरिक पैन की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू) <ul style="list-style-type: none"> जिन सदस्यों ने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी में अपना पीएएन अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे पैन फील्ड में दर्शाए गए पोस्टल बैलेट/उपस्थिती पर्ची पर छपी क्रम संख्या का प्रयोग करें।।
लाभांश बैंक विवरण एवं जन्मतिथि (DOB)	लॉगइन करने के लिए आपके डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) प्रविष्टि करें। <ul style="list-style-type: none"> यदि डिपॉजिटरी या कंपनी में ये दोनों ब्यौरे रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेशों (v) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक ब्यौरों के फील्ड में मेम्बर आईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख करें।

	For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <ul style="list-style-type: none"> Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Postal Ballot / Attendance Slip indicated in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. <ul style="list-style-type: none"> If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

- ix. इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात -"SUBMIT" पर क्लिक करें।
- x. जिन शेयरधारकों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीधे company selection स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब password creation मेन्यू में पहुंचेंगे, जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा बशर्ते वह कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
- xi. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उनके ब्यौरे का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग हेतु किया जा सकता है।
- xii. कृपया बैंक ऑफ इंडिया के ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिसे आप वोट करना चाहते हैं।
- xiii. वोटिंग पृष्ठ पर, आपको "Resolution Description" दिखेगा और उसी विकल्प के सामने वोटिंग हेतु "Yes/No" दिखेगा। इच्छानुसार "Yes" या "No" विकल्प चुनें। "Yes" विकल्प चुनने से तात्पर्य है कि आप इस संकल्प से सहमत हैं और "No" विकल्प मतलब आप इस संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- xiv. यदि आप संकल्प के पूर्ण ब्यौरे देखना चाहें तो "RESOLUTION FILE LINK" पर क्लिक करें।

- (ix) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (x) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (xi) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xii) Click on the EVSN for the relevant Bank of India on which you choose to vote.
- (xiii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiv) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

- xv. आप ने जिस संकल्प पर वोट करने का निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात "SUBMIT" क्लिक करें। एक "confirmation box" प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहें तो "OK" पर क्लिक करें अन्यथा आपका वोट बदलने के लिए "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।
- xvi. संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने पर आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- xvii. वोटिंग पेज पर "click here to print" विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
- xviii. यदि डीमैट खाताधारक पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज नोटिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करें तथा "Forget Password" पर क्लिक करें और सिस्टम जो ब्यौरे मांगे उनकी प्रविष्टि करें।
- xix. शेयरधारक सीडीएसएल के "m-Voting" मोबाइल एप के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं। m-Voting एप को संबंधित स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया मोबाइल से मतदान करते समय मोबाइल एप के अनुदेशों का पालन करें।
- xx. गैर-एकल शेयरधारकों और अभिरक्षकों हेतु नोट :-**
- गैर एकल शेयर धारक (अर्थात एकल व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा और कॉरपोरेट के मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
 - संस्था का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई मेल की जानी चाहिए।
 - लॉग इन ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित करना होगा। अनुपालन यूजर उन खातों को लिंक कर सकेगा, जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
 - लॉगइन खाते की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदित होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।
 - अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और पॉवर ऑफ एटॉर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए ताकि स्कूटिनाजर इसकी जांच कर सके।
 - गैर-एकल शेयरधारकों को विकल्पतः संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी, जो मतदान के लिए प्राधिकृत है, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित स्कूटिनाजर तथा बैंक को ई-मेल पता अर्थात् headoffice.share@Bankofindia.co.in पर भेजना अपेक्षित होता है, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है तथा उसे सत्यापन हेतु स्कूटिनाजर के लिए सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है।

एजीएम/ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं :-

1. ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग हेतु ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार ही है।

- (xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xvi) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xviii) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xix) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app "m-Voting". The m-Voting app can be downloaded from respective Store. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while Remote Voting on your mobile.
- (xx) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
 - Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; headoffice.share@Bankofindia.co.in , if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR E-VOTING DURING THE AGM/EGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM/AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.

2. जो शेयरधारक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम/ईजीएम में उपस्थित थे तथा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर मतदान नहीं किया है और ऐसा करने से उन्हें अन्यथा रोका नहीं गया है, वे ही ईजीएम/एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।
3. यदि शेयरधारकों द्वारा एजीएम/ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से कोई मतदान किए गए हैं तथा यदि उन्हीं शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा किए गए मतदान को अवैध माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में उपस्थित शेयरधारकों के लिए ही उपलब्ध है।
4. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे ईजीएम/एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। यद्यपि, वे ईजीएम/एजीएम में मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे।

ऐसे शेयरधारकों हेतु प्रक्रिया, जिनके ई-मेल पते इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्प हेतु ई-वोटिंग के लिए लॉगइन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है :

1. भौतिक शेयरधारकों हेतु - कृपया आवश्यक ब्यौरे, जैसे फोलियो सं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति) को **कम्पनी/आरटीए को ई-मेल द्वारा** प्रेषित करें।
2. डीमैट शेयरधारकों हेतु : कृपया डीमैट खाते के आवश्यक ब्यौरे (सीडीएसएल-16 अंकों की लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल-16 अंक की डीपीआईडी+सीएलआईडी), नाम, ग्राहक के मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति) को **कम्पनी/आरटीए को ई-मेल आईडी पर** ई-मेल द्वारा प्रेषित करें।
3. कम्पनी/आरटीए सीडीएसएल के साथ समन्वय करेगी तथा ऊपर उल्लिखित शेयरधारकों के लॉग-इन संबंधी ब्यौरे उपलब्ध कराएगी।

यदि आपको ई-वोटिंग सिस्टम में एजीएम और ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और www.evotingindia.com में उपलब्ध हेल्प खण्ड के तहत ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk@deslindia.com को ई मेल लिख सकते हैं या श्री नितिन कुंदर (022-23058738) या श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) से संपर्क कर सकते हैं।

इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउन्ड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर प्रेषित की जा सकती है या 022-23058542/43 पर कॉल करें।

2. Only those shareholders, who are present in the EGM/AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM/AGM.
3. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM/AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility , then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.
4. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM/AGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM/AGM.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING NOTICE OF THE MEETING AND ANNUAL REPORT LOGIN CREDENTIALS/ FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTION PROPOSED IN THIS NOTICE:

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to **Company/RTA email id.**
2. For Demat shareholders -, please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to **Company/RTA email id.**
3. The company/RTA shall co-ordinate with CDSL and provide the Notice and Annual Report / login credentials to the above mentioned shareholders.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.


18. स्कूटिनाइजर, एजीएम में मतदान के परिणाम के तुरन्त बाद, पक्ष या विपक्ष में किए गए कुल मतदान, यदि कोई है, की समेकित स्कूटिनाइजर रिपोर्ट बनाएगा तथा उसे अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराएगा।
19. स्कूटिनाइजर रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरन्त कम्पनी की वेबसाइट www.bankofindia.co.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइट <https://www.evotingindia.com> पर रखे जाएंगे। कम्पनी उसी समय परिणामों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया तथा बीएसई लिमिटेड, जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को प्रेषित करेगी।
20. सेबी सूचीकरण विनियम यथा संशोधित विनियम 40 के अनुसार यदि प्रतिभूतियों के प्रेषण या प्रतिस्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त होता है, तो सूचीबद्ध कम्पनियों की प्रतिभूतियाँ 1 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैट रूप में ही स्थानान्तरित की जा सकती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तथा भौतिक शेयर से जुड़े सभी जोखिमों का उन्मूलन करते हुए तथा पोर्टफोलियों प्रबंधन को सरल बनाने के लिए भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैट रूप में बदलने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में किसी भी सहायता हेतु कम्पनी बिगशेयर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड या कम्पनी के रजिस्ट्रारों तथा ट्रांसफर एजेंटों से संपर्क कर सकते हैं। सदस्य बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी संदर्भ ले सकते हैं।
21. "ग्रीन इनिशिएटिव" का समर्थन करने के लिए ऐसे सदस्य, जिन्होंने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और यदि वे भौतिक शेयरों के धारक हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल डीपी में पंजीकृत करें।
22. यदि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक शेयरों के धारक हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम, डाक का पता, ई-मेल का पता, टेलीफोन/मोबाइल नम्बर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी, बैंक का विवरण जैसे बैंक का नाम एवं शाखा का विवरण, बैंक की खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएसई कोड आदि में कोई भी बदलाव हो तो अपने डीपी में तथा यदि वे भौतिक शेयरों के धारक हैं तो बैंक ऑफ़ इंडिया में सूचित करें।
23. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप से शेयर हैं, समान नाम पर वे एकाधिक फोलियो में हैं, उनसे अनुरोध है कि ऐसे फोलियो का विवरण शेयर प्रमाण पत्र सहित बैंक को भेजें ताकि ऐसे फोलियो के विवरण को एक ही फोलियो में समेकित किया जा सके। अपेक्षित परिवर्तन करने के पश्चात् ऐसे सदस्यों को एक समेकित शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
24. संयुक्त शेयर धारक होने पर, जिनका नाम, बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम शेयरधारक के रूप में दर्ज है, वे वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।
25. सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोट करें कि ऐसे लाभांश जिनका बैंक के अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से लगातार 7 वर्ष की अवधि तक नकदीकरण नहीं कराया गया है, वे इन्वेस्टर एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन फंड ("आईईपीएफ") में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। ऐसे लाभांश जिनका दावा नहीं किया गया है, उनसे संबंधित शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकारी के डीमैट खाते में स्थानांतरण किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए,
18. The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the AGM, make a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.
19. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.bankofindia.co.in and on the website of CDSL <https://www.evotingindia.com> immediately. The Company shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Company are listed.
20. As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listing companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 1, 2019 in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Members can contact the Company or Company's Registrars and Transfer Agents, Bigshare Services Private Limited For assistance in this regard. Members may also refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") on Bank's website www.bankofindia.co.in.
21. To support the 'Green Initiative', Shareholders who have not yet registered their email addresses are requested to register the same with the DPs in case the shares are held by them in physical form.
22. Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to BOI in case the shares are held by them in physical form.
23. Shareholders holding shares in physical form, identical order of names, in more than one folio are requested to send to the Bank, the details of such folios together with the share certificates for consolidated their holdings in one folio. A consolidated share certificated will be issued to such Members after making requisite changes.
24. In case of joint holders, the shareholders whose name appears as their first holder in order of names as per the Register of shareholders of the Bank will be entitled to vote at the AGM.
25. Shareholders are requested to note that, dividends if not encashed for a consecutive period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account of the Bank, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). The shares in respect to such unclaimed dividends are also liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority. In view of this, Members are requested to

सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर कम्पनी से अपने लाभांश का दावा करें। ऐसे सदस्य, जिनके दावा न किए गए लाभांश/शेयर आईईपीएफ को स्थानांतरित कर दिये गए हैं, वे इसके दावे के लिए www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म सं. आईईपीएफ-5 में आईईपीएल प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट, जो कि इस वार्षिक रिपोर्ट का अंश है तथा बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर निवेशक पृष्ठ के प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ लें।

claim their dividends from the Company, within the stipulated timeline. The Members, whose unclaimed dividends/shares have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in. For details, please refer to corporate governance report which is a part of this Annual Report and FAQ of investor page on Bank's website <http://www.bankofindia.co.in>.

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

By Order of the Board of Directors



ए. के. दास
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ



A. K. Das
Managing Director & CEO

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 जून, 2020

Place : Mumbai
Date : June 25, 2020